शाखा हेतु परिसर लीज पर लेते समय परिसर मालिक बैंक की निम्न आवश्यकताओं से अवगत हो:-

1. परिसर के स्वामित्व की जांच (टाइटल क्लियरेंस) बैंक के अनुमोदित वकील से करवाई जायेगी तथा टाइटल क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा। इस हेतु होने वाला व्यय परिसर मालिक द्वारा वहन किया जायेगा।
2. परिसर का निर्माण/रिनोवेशन बैंक की आवश्यकतानुसार एवं बैंक के दिये गये नक्शे के अनुरूप किया जायेगा।
3. परिसर में निम्न सुविधायें उपलब्ध करवानी होगी:-
   A. स्ट्रांग रूम/कैश रूम, एटीएम रूम, स्टेशनरी/रिकार्ड रूम, पुरूषों एवं एवं महिलाओं के लिये अलग अलग टॉयलेट बनाये जायेगें।
   B. स्ट्रांग रूम का निर्माण (जहां आवश्यक हो) बैंक के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगा तथापि स्ट्रागं रूम का गेट मय एक्जॉस्ट फैन एवं वेन्टीलेटर बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
   C. स्ट्रागं रूम/कैश रूम में लॉकर एवं कैश सेफ को अलग-2 रखने हेतु पार्टीशन बनवाया जायेगा।
   D. परिसर की बाहरी दिवारें मजबूत (कम से कम 9" मोटाई युक्त) होनी चाहिये।
   E. प्रवेश द्वार पर रोलिगं शटर तथा ग्रिल गेट लगाया जायेगा।
   F. फर्श पर मार्बल फ्लोरिगं अथवा विट्रीफाइड टाइल्स लगवायी जायेंगी।
   G. सभी खिड़कियों एवं रोशनदानों में मजबूत ग्रिल लगवाई जायेगी तथा खिड़कियों में शीशे तथा जाली वाले दरवाजे लगाये जायेगें।
   H. परिसर में मूलभूत इलेक्ट्रिकल वायरिगं तथा प्वाइंट उपलब्ध कराने होगें।
   I. 15 से 30 किलोवॉट क्षमता वाला (आवश्यकतानुसार) थ्री-फेज विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा तथापि मासिक उपयोग के बिल का भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा।
   J. निरन्तर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इस हेतु अलग से नल का कनेक्शन दिया जायेगा। पानी स्टोरेज हेतु नीचे एंव उपर टंकी बनानी होगी तथा नीचे से ऊपर पानी लिफ्ट करने हेतु इलेक्ट्रिक मोटर लगानी होगी।
   K. परिसर की छत पर वी-सेट एवं मंकी केज स्थापित किया जायेगा जिसके लिये कोई अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा।
   L. वातानूकूलित संयन्त्रों की आउटडोर यूनिटों के लिये परिसर की छत पर अथवा अन्य उचित स्थान उपलब्ध कराना होगा जिसके लिये कोई अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा।
   M. भवन के सामने की दीवार पर बिना किसी अतिरिक्त लागत पर साइन बोर्ड लगाने के लिये उचित जगह उपलब्ध कराई जायेगी।
   N. भवन की दीवारों पर डिस्टेम्पर तथा खिड़कियों, दरवाजों पर साइन बोर्ड लगाने के लिये उचित जगह उपलब्ध कराई जायेगी।
   O. जनरेटर रखने के लिये जगह उपलब्ध कराई जायेगी।
   P. पार्किगं हेतु स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा।
4. किराये की दर प्रति वर्गफिट, कारपेट एरिया के अनुसार तय होगी। कारपेट एरिया की गणना में दीवारें, खम्बे, सीढियां, पोर्च, टॉयलेट, कोरिडोर, गलियारे, लिफ्ट के लिए शाफ्ट एवं मशीन रूम, वातानुकूल यंत्र के लिए जगह, दीवार में बनाई गई अलमारियाँ, वरांडे एवं बालकॉनी इत्यादि सम्मिलित नहीं होते हैं।
5. लीज अवधि 10 से 15 वर्ष निश्चित होगी। तथापि 5 वर्ष पश्चात किराये में वृद्धि सम्भव है।
6. सभी प्रकार के करों का भुगतान परिसर मालिक द्वारा किया जायेगा। सेवा कर जहां देय हैं, वहां बैंक द्वारा भुगतान किया जायेगा।
7. प्रत्येक 3 वर्ष में परिसर का रंगरोगन परिसर मालिक के खर्चे पर करवाया जायेगा।
8. समय-समय पर आवश्यक मरम्मत (माइनर) परिसर मालिक द्वारा करवाई जायेगी।
9. भविष्य में यदि बैंक एटीएम स्थापित करना चाहे तो परिसर में एटीएम कक्ष के निर्माण के सम्बन्ध में परिसर मालिक कोई आपत्ति नहीं करेगा।
10. किराये का भुगतान, कब्जा प्राप्त होने की तिथि से देय होगा किन्तु भुगतान लीज डीड के निष्पादन के पश्चात् ही किया जायेगा। लीज डीड निष्पादन में होने वाला व्यय बैंक तथा परिसर मालिक द्वारा आधा आधा वहन किया जायेगा।